तृतीय झारखण्ड विधानसभा का सप्तम् सत्र

सत्र-विवरणिका

1. **सत्र का आहवान एवं सभा की बैठकें**

झारखण्ड विधानसभा के सप्तम् सत्र (शीतकालीन) का आह्वान दिनांक 03 दिसम्बर, 2011 को हुआ जिसमें दिनांक – 19 दिसम्बर, 20 दिसम्बर, 21 दिसम्बर, 22 दिसम्बर एवं 23 दिसम्बर, 2011 को सभा की कुल 05 बैठकें हुईं ।

2. **सत्र का आरम्भ**

झारखण्ड विधानसभा का सप्तम् सत्र (शीतकालीन) का आरम्भ दिनांक 19.12.2011 को 11.00 बजे पूर्वा0 में माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधानसभा के प्रारम्भिक सम्बोधन से हुआ ।

3. **शपथ ग्रहण**

माण्डू विधानसभा क्षेत्र सं0 – 24 के नवनिर्वाचित माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश भाई पटेल (झारखण्ड मुक्ति मोर्चा) ने दिनांक 19.12.2011 को विधानसभा के सदस्यता की शपथ ली।

4. **सभापति का मनोनयन**

झारखण्ड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 10(1) के तहत् सप्तम् सत्र (शीतकालीन) के लिए माननीय सदस्य – (1) श्री साईमन मरांडी (2) श्री फूलचन्द मण्डल (3) श्री रघुवर दास (4) श्री सरफराज अहमद एवं (5) श्रीमती अन्नपूर्णा देवी सभा के सभापति मनोनीत किये गये ।

5. **समितियों का गठन**

झारखण्ड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 224(1) के तहत् सप्तम् सत्र के लिए गठित कार्यमंत्रणा समिति के निम्नलिखित माननीय सदस्य नामित किये गये –

(1) श्री अर्जुन मुण्डा, मुख्यमंत्री (2) श्री सुदेश कुमार महतो, उप-मुख्यमंत्री (3) श्री हेमन्त सोरेन, उप-मुख्यमंत्री (4) श्री हेमलाल मुर्मू, संसदीय कार्यमंत्री (5) श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, नेता प्रतिपक्ष (6) श्री प्रदीप यादव एवं (7) श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ।

6. **अनुमत विधेयक**

सभा के गत सत्र में स्वीकृत तथा महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयकों की निम्नांकित विवरणी सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखी गई -

क्र0 सं0	अनुमत विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि	अधिनियम संख्या
1.	झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक – 2011	30.08.2011	12/2011
2.	झारखण्ड विधान मण्डल सचेतक (सुविधा और भत्ता) (संशोधन) विधेयक – 2011	28.09.2011	13/2011
3.	झारखण्ड विधान मण्डल के (पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) विधेयक – 2011	28.09.2011	14/2011
4.	झारखण्ड विधान मण्डल के नेता विरोधी दल (वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) विधेयक – 2011	28.09.2011	15/2011
5.	झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता (संशोधन) विधेयक-2011	28.09.2011	16/2011
6.	झारखण्ड विधान मण्डल के (सदस्यों का वेतन, भत्ता एवं पेंशन) (संशोधन) विधेयक – 2011	28.09.2011	17/2011
7.	झारखण्ड कृषि ऊपज बाजार (संशोधन) विधेयक – 2011	28.09.2011	18/2011
8.	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक - 2011	28.09.2011	19/2011
9.	झारखण्ड राज्य सेवा देने का गारंटी विधेयक – 2011	28.09.2011	20/2011
10.	झारखण्ड होटल विलास वस्तु कराधान विधेयक – 2011	28.09.2011	21/2011
11.	झारखण्ड मूल्य वर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक – 2011	28.09.2011	22/2011
12.	झारखण्ड राजमार्ग (संशोधन) विधेयक – 2011	01.10.2011	23/2011
13.	झारखण्ड नगरपालिका कानून (संशोधन) विधेयक – 2011	01.10.2011	24/2011
14.	झारखण्ड इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय विधेयक – 2011	09.10.2011	25/2011
15.	झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक – 2011	14.10.2011	26/2011
16.	झारखण्ड शहरी फेरीवाले (आजीविका, सुरक्षा और वेडिंग विनियमन) विधेयक – 2011	14.10.2011	27/2011
17.	झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक – 2011	09.11.2011	28/2011
18.	अंगीकृत बिहार राजभाषा (संशोधन) विधेयक - 2011	14.11.2011	29/2011

7. **अध्यक्षीय घोषणा**

इस सत्र में राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न सं0 – 1914 दिनांक – 07.12.2009 के संदर्भ में विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये उत्तर तथा सभा सचिवालय के पत्रांक – 4010, दिनांक – 18.12.2011 के आलोक में झारखण्ड विधानसभा के माननीय सदस्यों (मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तथा मंत्रिगण सहित) को अपनी सम्पत्ति की घोषणा दिनांक – 21.12.2011 तक किये जाने सम्बन्धी आसन से घोषणा की गई।

दिनांक – 20.12.2011 को सभावेश्म में ध्वनि की त्रुटिपूर्ण व्यवस्था के लिए भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार के जिम्मेवार पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने एवं सभा को संसूचित करने का निर्देश आसन से दिया गया ।

8. **<u>शोक प्रकाश</u>**

दिनांक – 19 दिसम्बर, 2011 को विगत् सत्र और इस सत्र के बीच दिवंगत राजनेताओं, समाजसेवियों, साहित्यकारों, कलाकारों यथा – स्व0 टेकलाल महतो, स्व0 यमुना सिंह, स्व0 राम दयाल मुंडा, स्व0 चन्द्रेश उराँव, स्व0 जमुना प्रसाद शर्मा, स्व0 प्रभात कुमार आदित्य देव, स्व0 जनमेजय नाथ चौबे, स्व0 भागवत झा आजाद, स्व0 जगनारायण त्रिवेदी, स्व0 बसंत साठे, स्व0 जगजीत सिंह, स्व0 नवाब अली खाँ पटौदी, भूपेन हजारिका, स्व0 इन्दिरा गोस्वामी एवं स्व0 देवानन्द तथा विभिन्न दुर्धटनाओं में जिनका अकस्मात् निधन हुआ, उन सबके प्रति सभा द्वारा शोक-संवेदना प्रकट की गई एवं दो मिनट का मौन रखा गया ।

9. **<u>प्रश्नकाल</u>**

इस शीतकालीन सत्र में 176 अल्पसूचित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें सभा में कुल 12 प्रश्न उत्तरित तथा 164 प्रश्न अनागत हुए ।

इस सत्र में कुल 124 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें कुल 17 प्रश्न उत्तरित तथा 107 प्रश्न अनागत हुए ।

271 अनागत प्रश्नों में 256 प्रश्नों के लिखित उत्तर प्राप्त हुए।

10. **<u>शून्यकाल</u>**

इस सत्र में माननीय सदस्यों के कुल 151 शून्यकाल की सूचनाएँ पढ़ी गईं अथवा पढ़ी गई मानी गयीं ।

11. **<u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>**

इस सत्र में माननीय सदस्यों के कुल 20 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ स्वीकृत की गई जिनमें सरकार द्वारा कुल 10 ध्यानाकर्षण सूचनाओं का वक्तव्य दिया गया । शेष ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु दिनांक 23.12.2011 को सौंपा गया ।

12. **<u>सभा मेज पर कागजात रखा जाना</u>**

दिनांक – 19.12.2011 को श्री सुदेश कुमार महतो, उपमुख्यमंत्री द्वारा झारखण्ड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 224(2) के तहत् कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (ए0टी0आर0) सभा पटल पर रखा गया ।

दिनांक – 21.12.2011 को श्री हेमलाल मुर्मू, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा झारखण्ड राजमार्ग नियमावली, 2011 (1), 2008 की धारा 35 के अन्तर्गत ''झारखण्ड राजमार्ग नियमावली, 2007'' एवं झारखण्ड राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2011 की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी।

दिनांक – 22.12.2011 को माननीय वित्त मंत्री, श्री हेमन्त सोरेन द्वारा ''भारत के संविधान के अनुच्छेद – 151(2) के अनुसरण में, भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक का 31 मार्च-2011 को समाप्त होने वाले वर्ष का प्रतिवेदन – वित्त लेखे – 2010-2011 एवं विनियोग लेखे – 2010-2011 झारखण्ड सरकार जिसे विधानसभा के समक्ष रखने हेतु भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखी'' जो सभा द्वारा स्वीकृत हुई।

दिनांक – 23.12.2011 को गत सत्र में सभा में पठित शून्यकाल सूचनाओं के प्राप्त उत्तरों की संकलित एक प्रति सभा पटल पर रखा गया ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25(4) के अनुसरण में आयोग से प्राप्त वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा मेज पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा रखी गयी।

13. **<u>समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन</u>**

दिनांक – 22.12.2011 को सरकारी आश्वासन समिति का तेरहवाँ, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सातवाँ एवं प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति का बाईसवाँ एवं तेईसवाँ प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा गया ।

दिनांक – 23.12.2011 को निवेदन समिति का नौवाँ प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया ।

14. **<u>निवेदन</u>**

इस सत्र में प्राप्त निवेदनों की कुल संख्या – 33 थीं जिन्हें नियम 263(1) के तहत् विभागों को भेजने पर सभा की सहमति हुई।

15. **<u>वित्तीय कार्य</u>**

दिनांक – 20.12.2011 को श्री हेमन्त सोरेन, उप मुख्यमंत्री (प्रभारी मंत्री, वित्त) द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए 1189.24 करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट सभा में उपस्थापित किया गया।

दिनांक – 21.12.2011 को द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण से संबंधित मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग से संबंधित मांग सभा में पेश की गई।

श्री प्रदीप कुमार यादव, स0वि0स0 द्वारा इस मांग के संबंध में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । वाद-विवाद एवं चर्चा के उपरांत कटौती का प्रस्ताव सभा द्वारा ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ एवं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग से संबंधित मांग सभा द्वारा स्वीकृत की गई। अनुपूरक व्यय विवरण से संबंधित शेष सभी मांगें गिलोटीन द्वारा स्वीकृत की गई। तत्पश्चात 'झारखण्ड विनियोग (संख्या – 4) विधेयक - 2011 ' सभा में पुरस्थापित और पारित किया गया ।

16. **<u>प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन</u>**

दिनांक – 23.12.2011 को प्रवर समिति के सभापति श्री हेमन्त सोरेन (उप-मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग) द्वारा झारखण्ड वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर विधेयक, 2011 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन सभा में उपस्थापित किया गया ।

दिनांक – 23.12.2011 को ही प्रवर समिति के सभापति श्री हेमन्त सोरेन (उप-मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री, नगर विकास विभाग) द्वारा शहरी क्षेत्र में किए गए अनाधिकृत/विचलित निर्माण को कम्पाउंडिंग (चक्रवृद्धि) शुल्क के माध्यम से नियमितीकरण हेतु झारखण्ड विधेयक, 2011 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन सभा में उपस्थापित किया गया ।

17. **<u>विधायी कार्य</u>**

इस सत्र में पारित कुल विधेयकों का विवरण निम्न प्रकार से है -

सभा में उपस्थापन एवं पारित होने की तिथि	विधेयक
22.12.2011	01. झारखण्ड विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2011 02. झारखण्ड राय विश्व विद्यालय विधेयक, 2011 03. राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं शोध विश्व विद्यालय, राँची (संशोधन) विधेयक,2011 04. झारखण्ड नगरपालिका विधेयक, 2011 05. झारखण्ड अपार्टमेंट (फ्लैट) स्वामित्व विधेयक, 2011 06. खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2011 07. झारखण्ड भवन (पट्टा, किराया एवं बेदखली) नियंत्रण विधेयक, 2011
23.12.2011	01. झारखण्ड वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर विधेयक, 2011 02. शहरी क्षेत्र में किए गए अनाधिकृत/विचलित निर्माण को कम्पाउंडिंग (चक्रवृद्धि) शुल्क के माध्यम से नियमितीकरण हेतु झारखण्ड विधेयक, 2011 03. झारखण्ड राज्य के जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) विधेयक, 2011 04. झारखण्ड गो सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2011

18. **<u>विशेष वाद-विवाद</u>**

दिनांक – 19.12.2011 को सम्पन्न कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के प्रतिवेदन के आलोक में दिनांक – 21.12.2001 को राज्य की विधि व्यवस्था एवं रैयती एवं सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा की बढ़ती प्रवृत्ति पर तथा दिनांक – 22.12.2011 को 'राजस्व मामलों में केन्द्र राज्य सहभागिता' पर विशेष चर्चा हुई।

19. **<u>गैर सरकारी संकल्प</u>**

दिनांक – 23.12.2011 को कुल 16 गैर सरकारी संकल्प लिए गये ।

20. **<u>सभा का स्थगन</u>**

माननीय अध्यक्ष महोदय के समापन भाषण के साथ ही दिनांक 23.12.2011 को सभा की कार्यवाही अप0 5.55 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई।